झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना-कोतवाली, जनपद झाँसी

दिनांक- 20.11.2026

कोतवाली पुलिस द्वारा पैथोलॉजी लैब से चोरी की घटना का 12 घंटे के भीतर सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 50,000/- नगद बरामद, गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.11.2026 को वादिया मुकदमा श्रीमती कंचन पत्नी श्री राजेश कंचन निवासी बंसल कालोनी सिद्धेश्वर मंदिर के पास ग्वालियर रोड, थाना-कोतवाली, झाँसी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना-पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त केतन सेन द्वारा वादिया की पेथॉल्जी लैब से अभियुक्त द्वारा लैब से 1,70,000/- रुपये चोरी कर लिए हैं। प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 305(ए) BNS पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री प्रिया सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली श्री अंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहनता से अवलोकन करते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 20.11.2026 को अभियुक्त **केतन सेन पुत्र प्रेमनारायण सेन निवासी मसीहागंज, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गए रुपयों में से 50,000/- रुपये नगद बरामद किए गए। पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण का विवरणः-

1. केतन सेन पुत्र प्रेमनारायण सेन निवासी मसीहागंज, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष.

बरामदगी का विवरणः-

- 50,000/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 अनुज कुमार अवस्थी, चौकी प्रभारी नई बस्ती, थाना कोतवाली,

2- का0 पवन कुमार,

3- का0 रौबिन सिंह,

4- का0 देवेश कुमार